उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा विभाग
संख्या 1189/I(2)/2008-04(8)/65/07
देहरादूनः दिनांक 23 मई, 2008

अधिसूचना

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित करते हैं कि उनका यह समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजनार्थ, अर्थात ग्राम कोट लग्गा कुणजली, परगना बारहस्यूँ, जनपद पौड़ी गढ़वाल में नेशनल हाईड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा कोटली भेल जल विद्युत परियोजना स्टेज–II के निर्माण के लिये आवश्यकता है।

2– चूंकि राज्यपाल, की यह राय है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू होते हैं, जैसा कि उक्त भूमि की लोक प्रयोजनार्थ अर्थात ग्राम कोट लग्गा कुणजली, परगना बारहस्यूँ, जनपद पौड़ी गढ़वाल में नेशनल हाईड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा कोटली भेल जल विद्युत परियोजना स्टेज–II के निर्माण के लिये आवश्यक है और इस अत्यावश्यकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 क के अधीन जॉच करने में लगने वाले सम्भावित विलम्ब को विवर्जित किया जाय। अतएवं राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन अग्रेत्तर निदेश देते हैं कि उक्त अर्जन में उक्त अधिनियम की धारा 5 क के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू नहीं होंगे।

अनुसूची

जिला	परगना	ग्राम	प्रस्तावित क्षेत्रफल		विवरण
पौड़ी गढ़वाल	बारहस्यूँ	कोट लग्गा कुणजली	खसरा न0	क्षेत्रफल (हे.)	
			557	0.040	
			558	0.013	
			559	0.013	
			560	0.013	
			561	0.028	
			562	0.010	
			563	0.033	
			564	0.034	
			565	0.008	
			566	0.010	
			568	0.063	
			569	0.178	
			571	0.033	
			572	0.028	
			575	0.070	
			1673	0.028	
			1674	0.021	
			1675	0.010	
योग			18	0.633	

.....2

किस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:— जनपद पौड़ी गढवाल में ग्राम कोट लग्गा कुणजली, परगना बारहस्यूँ में नेशनल हाईड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा कोटली भेल जल विद्युत परियोजना स्टेज–II के निर्माण हेतु।

टिप्पणी:— उक्त भूमि का स्थल नक्शा (साईट प्लान) कलेक्टर, पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

आज्ञा से

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव

संख्या 1189 /I(2)/2008-04(8)/65/07, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को एक अंग्रेजी प्रति के साथ उत्तराखण्ड के आगामी/असाधारण गजट भाग–4 खण्ड–'ख' में विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 10 मुद्रित प्रतियां जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल तथा 50 प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।
2— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3— जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4— मुख्य अभियन्ता, नेशनल हाईड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि0, कोटली भेल जल विद्युत परियोजना स्टेज–II पौड़ी गढ़वाल।
5— प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0, देहरादून।
6— विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
7— प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
8— गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(सी0 भास्कर)
अपर सचिव